ए.

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.

कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 175) 27 जुलाई, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002।13(4), 14 – मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सी. एम. एम.) का अर्थ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (ए. सी. एम. एम.) को शामिल करना होगा-परंतुक (सुरक्षित लेनदार) ने अपीलार्थी (उधारकर्ता) द्वारा देय और देय राशि की वसूली के लिए एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की-उधारकर्ताओं ने प्रतिभूति संपत्ति का भौतिक कब्जा सौंपने से इनकार कर दिया-सुरक्षित लेनदार ने एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन दायर कर सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने में सी. एम. एम. से सहायता की प्रार्थना की-न्यायालय समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था-सुरक्षित लेनदार ने एस.14(1) अधिनियम-सी. एम. एम. की बड़ी मात्रा में विचाराधीनता और कार्यभार पर विचार करते हुए खंड पीठ ने कहा है कि सी. एम. एम. की सभी न्यायिक शक्तियों के साथ निवेश किए जाने पर ए. सी. एम. एम. को सी. एम. एम. के बराबर माना जा सकता है-उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सी. एम. एम. और ए. सी. एम. एम. एक ही आधार पर खड़े हैं और एक को दूसरे से हीन या अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है-अपील पर कहा गयाःजैसा कि एस द्वारा अनिवार्य है।14 सर्फेसी अधिनियम के अनुसार, सीएमएम/डीएम को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करना होता है और एक उपयुक्त आदेश पारित करना होता है-इस प्रकार, सीएमएम/डीएम द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है-आवेदन का निपटान करते समय यू/एस।14 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत, अर्ध-न्यायिक कार्य या दिमाग के उपयोग के किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं होगी-एस. 14 सी. एम. एम./डी. एम. को व्यक्तिगत रूप से जाने और उससे संबंधित सुरक्षित संपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य नहीं करता है-उच्च न्यायालय ने सही कहा है कि सी. एम. एम./जिला मजिस्ट्रेट में निहित शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में नहीं है-Cr.PC के तहत न्यायिक शक्तियों और शक्तियों का प्रयोग सी. एम. एम. द्वारा भी किया जा सकता है-इस प्रकार, ए. सी. एम. एम. को सी. एम. एम. के बराबर कहा जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

57 ए.

58 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

जहाँ तक Cr.PC के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है-अभिव्यक्ति "CMM" s में दिखाई देती है।14 एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का अर्थ एस. के प्रयोजनों के लिए ए. सी. एम. एम. होगा और इसमें शामिल होगा।14 सरफेसी अधिनियम।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

बी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** सरफेसी अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि के साथ-साथ बिक्री की पुष्टि के बाद भी सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जा सकता है।सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए, यह बैंक के "अधिकृत अधिकारी" द्वारा किया जा सकता है जैसा कि प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, **2002** के नियम **8** में उल्लेख किया गया है। **[**पैरा **8] [73-**सी-डी**]**

सी.

1.2 हालांकि, सरफेसी अधिनियम की धारा **14 (1)** के संदर्भ में सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए, सुरक्षित लेनदार एक लिखित आवेदन के माध्यम से सीएमएम/डीएम से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने का अनुरोध किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे (सुरक्षित लेनदार) भेजा जाता है।सीएमएम/डीएम पर आदेशित वैधानिक दायित्व उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार से एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा **14 (1)** के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई करना है।जैसे ही ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, सी. एम. एम./डी. एम. से अपेक्षा की जाती है कि वह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14 (1)** में परंतुक में निर्दिष्ट सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन के बाद और उस संबंध में संतुष्ट होने के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और इसे जल्द से

जल्द सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगा।जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा **14** द्वारा अनिवार्य है**,** सीएमएम/डीएम को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करना होगा और आवेदन की तारीख से **30** दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से एक उपयुक्त आदेश पारित करना होगा**,** जिसे ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है**,** लेकिन कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक नहीं।इस प्रकार**,** सीएमएम/डीएम द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है।वह देरी नहीं कर सकता।समय का महत्व है।यह विशेष अधिनियम की भावना है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में।**,** ए द्वारा उठाया गया कदम

एच.

59

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस।

सी**.** एम**.** एम**./**डी**.** एम**.** द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना एक मंत्रिस्तरीय कदम है।इसे सी**.** एम**.** एम**./**डी**.** एम**.** स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है**,** जिसमें अधिवक्ता आयुक्त भी शामिल है जिसे उसकी न्यायालय का अधिकारी माना जाता है।धारा **14** सी**.** एम**.** एम**./**डी**.** एम**.** को व्यक्तिगत रूप से जाने और उससे संबंधित सुरक्षित संपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य नहीं करती है।इस प्रकार**,** यह न्यायालय दोहराता है कि सीएमएम/डीएम द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत उठाया जाने वाला कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है। सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत आवेदन का निपटान करते समय**,** अर्ध**-**न्यायिक कार्य या दिमाग के अनुप्रयोग के किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं होगी।मजिस्ट्रेट को निर्णय लेना होता है और आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता पर निर्णय लेना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।इसलिए**,** धारा **14** में एक न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है जो उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उठाई गई है।**[**पैरा **8.1] [73-**डी**-**एच**; 74-**ए**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

1.3 धारा **11,12,15,16,17,19** और **35** के प्रासंगिक प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।उच्च न्यायालय किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है**,** और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास **Cr.PC** के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे।मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट**,** सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन**,** मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।इस प्रकार **Cr.PC** के तहत न्यायिक शक्तियों और शक्तियों का प्रयोग**,** जिसका प्रयोग मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है**,** का प्रयोग अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है।इस प्रकार**,** अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर कहा जा सकता है जहाँ तक **Cr.PC** के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है।इसके अलावा**,** मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं।हालांकि**,** अन्य सभी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से **Cr.PC** दोनों के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

बराबरी पर हैं।इसलिए**,** जहां तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है**,** अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।**[**पैरा **10.1] [77-**बी**-**ई**]**

2. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है**,** जब अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बराबर हैं और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश **(**आईडी**1** की धारा **19)** के अधीनस्थ होंगे और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एस**.** ए**.** आर**.** एफ**.** ए**.** ई**.** एस**.** आई**.** अधिनियम की धारा **14** के तहत उठाए जाने वाले कदम**,** जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है**,** मंत्रिस्तरीय प्रकृति के

हैं और इसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है और किसी भी अर्ध-न्यायिक कार्य का कोई तत्व नहीं है, हम विवादित फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।इस न्यायालय का मानना है कि सरफेसी अधिनियम की धारा **14** में दिखाई देने वाली "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" अभिव्यक्ति का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को शामिल करना होगा। **[**पैरा **10.2] [77-**एफ**-**एच**; 78-**ए**]3.** इसी तरह**,** जब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा या तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा और/या विशेष आदेशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से सम्मानित किया जाता है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वही शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं जो जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग की जा रही हैं**,** तो वही सादृश्य लागू किया जा सकता है**,** विशेष रूप से**,** जब सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां मंत्रिस्तरीय कदम हैं।**[**पैरा **10.3] [78-**ख**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे कोण से भी विचार किया जा सकता है।इसे विवादित नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है कि सीएमएम और/या यहां तक कि डीएम को विभिन्न कानूनों के तहत कई अन्य कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है।उन्हें कई प्रशासनिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है।जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र/जिले के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।इसी तरह**,** सी**.** एम**.** एम**.** को भी प्रशासनिक ए करने की आवश्यकता होती है।

जी.

एच.

61

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस।

कर्तव्य और उन्हें अन्य मामलों/आपराधिक मुकदमों और विशेष कानूनों के तहत कई मुकदमों से भी निपटना पड़ता है।यह विवादित नहीं हो सकता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत मुकदमे और सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत कार्यवाही और/या आवेदन बढ़ रहे हैं। यहां तक कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में देखा गया है**,**

09.08.2017 के अनुसार, केवल एक **CMM** के समक्ष **SARFAESI** अधिनियम की धारा **14** के तहत **926** मामले लंबित थे। इसलिए, धारा **14** के तहत कई आवेदन लंबित हैं।इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत दायर आवेदनों के शीघ्र निपटारे का परंतुक करता है। धारा **14** के दूसरे परंतुक के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश आवेदन की तारीख से अधिकतम साठ दिनों की अवधि के भीतर पारित किए जाने की आवश्यकता है।इसलिए, यदि अपीलार्थियों की ओर से यह निवेदन स्वीकार किया जाता है कि केवल संबंधित सीएमएम/डीएम के पास ही सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा, तो उस मामले में, संबंधित सीएमएम/डीएम के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत आवेदन पर तेजी से और सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। यदि यह न्यायालय यह व्याख्या प्रस्तावित करता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शामिल हैं, तो इसे सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब ऊपर देखा गया है, तो सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के तहत पारित किए जाने वाले आदेश मंत्री कदम हैं और सुरक्षित संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने/प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए हैं।इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** के तहत न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का कोई तत्व नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है।**[**पैरा **11] [78-**सी**-**एच**; 79-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5. यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत है कि **(i)** जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पद के लिए नामित व्यक्ति नहीं है।

एच.

ए.

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** के प्रयोजनों के लिए**; (ii)** एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** में दिखाई देने वाले "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट" पद का अर्थ एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा **14** के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शामिल करना होगा। **[**पैरा **12] [79-**सी**]**

बी.

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सुबीर चक्रवर्ती

& ओआरएस। सिविल अपील सं. 1637/2022 द्वारा निर्णय लिया गया

उच्चतम न्यायालय**;** हरि चंद अग्रवाल बनाम बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य। **[1969] 2** एससीआर **201 -**

संदर्भित किया गया।

सी.

आपराधिक मामले में महाराष्ट्र राज्य बनाम शांति प्रसाद जैन

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय लिया गया **1977** का संदर्भ संख्या **9;** शिवम वाटर ट्रीटर्स पी**.**

लिमिटेड वी**.**अधिकृत अधिकारी**,** भारतीय स्टेट बैंक विशेष

डी.

2013 का सिविल आवेदन संख्या **12632** गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा तय किया गया**-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

ई.

[1969] 2 एससीआर **201**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 175

2022.

2017 की रिट याचिका संख्या 1961 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2017 से।

एफ.

पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पी. मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, आलोक कुमार, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सुश्री खुशबू विनोदराय मलकान, सुश्री भावना सरकार, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

63

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका सं. सं. सं.

संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा।हालांकि, उधारकर्ताओं ने सुरक्षित संपत्ति के भौतिक कब्जे को सौंपने से इनकार कर दिया।सुरक्षित लेनदार ने 21.01.2017 पर सुरक्षित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया और उक्त सुरक्षित संपत्ति पर कब्जे का नोटिस चिपकाया।कि 17.03.2017 पर, सुरक्षित लेनदार ने एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14 के तहत विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय, एस्प्लेनेड, मुंबई में एक आवेदन दायर विद्वान , जिसमें सुरक्षित संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने में विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से सहायता के लिए प्रार्थना की गई।मामले को समय-समय पर स्थगित किया गया और अंत में इसे 29.07.2017 तक स्थगित कर दिया गया।जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा अनिवार्य किया गया था, आवेदन को 30 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाना आवश्यक था और चूंकि आवेदन पर कानून द्वारा अनिवार्य अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए सुरक्षित लेनदार

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

उन्नति के लिए एक आवेदन भेजा।उक्त आवेदन को विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त आवेदन एक नया आवेदन है और कई पुराने आवेदन लंबित हैं।इसलिए, सुरक्षित लेनदार ने एक उचित निर्देश और आदेश के लिए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14 के तहत अपने मामलों/आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटान करने का निर्देश दिया गया।

बी.

2.2 कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को आदेश के साथ रिट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटान करने का प्रयास करने का निर्देश जारी विद्वान ।विद्वान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिनांक 14.08.2017 के संचार के माध्यम से उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया कि, "भले ही, SARFAESI अधिनियम, 2002 उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर आवेदनों के

त्वरित निपटारे का प्रावधान करता है, लेकिन मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एस्प्लेनेड, मुंबई के न्यायालय की फाइल पर 09.08.2017 पर उक्त अधिनियम के तहत 924 मामले लंबित हैं। 924 मामलों में से 509 मामले वर्ष 2017 में दर्ज किए गए हैं।हालांकि, वर्ष 2014 के 27 मामले, वर्ष 2015 के 96 मामले और वर्ष 2016 के 291 मामले अभी भी निपटारे के लिए लंबित हैं।माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।इसलिए नए मामलों के बजाय पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है।"

सी.

डी.

ई.

2.3 उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने पर, उच्च न्यायालय की राय थी कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर आवेदनों की मात्रा और ऐसे आवेदनों के लंबित होने पर विचार करते हुए, विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत एक अधिकारी हैं, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के पहले और दूसरे परंतुक परंतुक में समयबद्ध अवधि के भीतर ऐसे आवेदनों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसा मत व्यक्त करने के बाद, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि विचाराधीनता को कैसे कम विद्वान जाए।इस संदर्भ में, सरफेसी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 17 (2) और धारा 19 पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा है कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (संक्षेप में "एसीएमएम") को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी न्यायिक शक्तियों के साथ निवेश किया जा रहा है, जिसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर माना जा सकता है।उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अब तक ए

एफ.

जी.

एच.

65

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जहाँ तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एक ही आधार पर खड़े हैं और एक को दूसरे से हीन या अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।यह आगे देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की स्थिति समान और समान है,

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मानते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है

बी.

आपराधिक संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य बनाम शांति प्रसाद जैन

1977 की सं. 9 ने आई. डी. 1 पर निर्णय लिया जिसके द्वारा, एक संदर्भ पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया और निष्कर्ष निकाला कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एक ही स्थिति के न्यायालय हैं जिनकी समान या समान अधिकारिता है जहां तक आपराधिक मामलों के मुकदमे का संबंध है।इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां विशुद्ध रूप से निष्पादक प्रकृति की हैं और अर्ध-न्यायिक कार्यों का कोई तत्व नहीं है, अंततः उच्च न्यायालय द्वारा इसका पालन किया जाता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता हैः-

सी.

डी.

“(I) जिला मजिस्ट्रेट**,** मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट**,** सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के प्रयोजनों के लिए नामित व्यक्ति नहीं हैं।

ई.

(II) सरफेसी अधिनियम की धारा **14** में दिखाई देने वाले "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट" पद का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा **14** के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होगा।

एफ.

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत रूप से नामित नहीं हैं और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में दिखाई देने वाले "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को शामिल करना होगा, उधारकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

जी.

एच.

3. अपीलार्थी -उधारकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरविश जितेंद्र मलकान और राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल पेश हुए हैं।प्रत्यर्थी संख्या 1-सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है।

4. उधारकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मलकन ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है।यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में भी बहुत गंभीर/गंभीर त्रुटि की है कि जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति नामित नहीं हैं।

बी.

सी.

4.1 ऋणकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मलकन ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों के बिल्कुल विपरीत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुजरात के उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करते हुए खुशी हुई है किः-

डी.

"1) जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दो अलग-अलग और अलग-अलग प्राधिकरण हैं।

2) धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां दी गई हैं, वे अन्य बातों के साथ-साथ इन प्राधिकरणों को विशेष रूप से प्रदान की गई हैं।प्रयोग की जाने वाली शक्ति का एक पहलू यह है कि जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को धारा की आवश्यकता के अनुपालन के बारे में खुद को संतुष्ट करना होता है।संतुष्टि व्यक्तिगत संतुष्टि है।जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी विशिष्ट क्षमता में शक्तियां प्रदान की जाती हैं।वे स्वयं ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं।धारा 14 के तहत शक्तियों की प्रकृति विभिन्न व्यक्तियों या प्राधिकरणों को उक्त प्रावधान के तहत शक्तियों के हस्तांतरण/प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं देगी।"

ई.

एफ.

जी.

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रूप में अभिनिर्धारित करते हुए हरि के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया।

चांद अग्रवाल बनाम बटाला इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य। **; (1969)**

एच.

67

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2 एससीआर 201।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरि चंद अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अलग-अलग प्राधिकरण हैं और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ हैं और इसलिए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

बी.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी शिवम के मामले में अपने पहले के खंड पीठ के फैसले पर विचार किया है और उस पर भरोसा किया है

वाटर ट्रीटर्स पी**.** लिमिटेड बनाम अधिकृत अधिकारी**,** भारतीय स्टेट बैंक

2013 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 12632 में 17.09.2013 पर निर्णय लिया गया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया:- “7. अतीत में, इसी पीठ को इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला था कि क्या प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्ति को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पक्ष में सौंपा जा सकता है।उस संदर्भ में, इस पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अहमदाबाद के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 19 खंड (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक नियमावली, 1977 के अध्याय XXXII के नियम 10 खंड (1) के सहपठित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के बीच व्यवसाय के वितरण के संबंध में कार्रवाई, जिससे अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अहमदाबाद नगर निगम की सीमा के भीतर उत्पन्न

होने वाले प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामलों को स्वीकार करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हुआ।

सी.

डी.

ई.

8. हमारे सामने मामले में, सवाल थोड़ा अलग है कि क्या एक जिला मजिस्ट्रेट उप-मंडल मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्ति सौंप सकता है।"

एफ.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद यह विशेष रूप से देखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल जिला मजिस्ट्रेट ही हैं जो सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

जी.

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और हरि चंद अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों और गुजरात, केरल और कलकत्ता के उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया जाए और यह अभिनिर्धारित किया जाए कि यह केवल जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें इस पद से सम्मानित किया गया है।

एच.

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी विशिष्ट क्षमता में शक्तियों को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।

5. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन पाटिल ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर धारा 14 के तहत आवेदनों का निर्णय और निपटान करने और जिला मजिस्ट्रेटों या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों के पास लंबित काम और आवेदनों की मात्रा को देखते हुए और उन्हें

प्रशासनिक कार्य सहित अन्य कर्तव्यों की देखभाल और विचार करना होगा और यह देखने के लिए कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने में समय सीमा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

बी.

सी.

6. सुना है।इस मुद्दे पर विचार करते समय कि क्या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और/या इस मुद्दे पर कि क्या सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में दिखाई देने वाले "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को शामिल करना होगा, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट (संक्षेप में "डीएम") और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (संक्षेप में "सीएमएम") द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर पहले विचार करने की आवश्यकता है।सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 निम्नानुसार हैः- “14. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए।—(1) जहां किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाना आवश्यक है या यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी सुरक्षित संपत्ति को सुरक्षित लेनदार द्वारा बेचा या स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है, तो सुरक्षित लेनदार, ऐसी किसी भी सुरक्षित संपत्ति का कब्जा या नियंत्रण लेने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई सुरक्षित संपत्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित या पाए जा सकते हैं, और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, उसे किए जा रहे ऐसे अनुरोध पर -

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(क) ऐसी संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना; और

(ख) ऐसी परिसंपत्ति और दस्तावेज सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करें:[बशर्ते कि सुरक्षित लेनदार द्वारा किसी भी आवेदन के साथ सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किया गया एक शपथ पत्र होगा, जिसमें घोषणा की जाएगी कि -

बी.

(i) दी गई वित्तीय सहायता की कुल राशि और आवेदन दाखिल करने की तारीख तक बैंक का कुल दावा; (ii) उधारकर्ता ने विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है और यह कि बैंक या वित्तीय संस्थान ऐसी संपत्तियों पर वैध और स्थायी प्रतिभूति ब्याज धारण कर रहा है और बैंक या वित्तीय संस्थान का दावा सीमा अवधि के भीतर है;

सी.

(iii) उधारकर्ता ने उपरोक्त उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संपत्तियों का विवरण देते हुए विभिन्न संपत्तियों पर प्रतिभूति ब्याज बनाया है;

डी.

((iv) उधारकर्ता ने निर्दिष्ट राशि को एकत्रित करते हुए दी गई वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में चूक की है; (v) वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान में इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

ई.

(vi) यह पुष्टि करते हुए कि धारा 13 की उप-धारा (2) के प्रावधानों द्वारा आवश्यक साठ दिनों की सूचना की अवधि, जिसमें चूक की गई वित्तीय सहायता के भुगतान की मांग की गई है, उधारकर्ता को दी गई है;

एफ.

(vii) उधारकर्ता से प्राप्त नोटिस के जवाब में आपत्ति या अभ्यावेदन पर सुरक्षित लेनदार द्वारा विचार किया गया है और ऐसी आपत्ति या अभ्यावेदन की अस्वीकृति के कारणों को उधारकर्ता को सूचित कर दिया गया है;

जी.

(viii) उधारकर्ता ने उपरोक्त सूचना के बावजूद वित्तीय सहायता का कोई पुनर्भुगतान नहीं किया है और इसलिए अधिकृत अधिकारी मूल अधिनियम की धारा 14 सहपठित धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का हकदार है।

एच.

((ix) कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन किया गया थाः

बशर्ते कि प्राधिकृत अधिकारी से शपथ पत्र प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, शपथ पत्र की सामग्री को संतुष्ट करने के बाद सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश पारित करेगा [आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर]

बी.

[बशर्ते कि यदि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए तीस दिनों की उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो वह इसके लिए लिखित कारण दर्ज करने के बाद, ऐसी आगे की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक नहीं।]परन्तु यह भी कि प्रथम परंतुक में वर्णित शपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, किसी जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।] (2) उप-धारा (1) के परंतुक ों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकता है या उठा सकता है और ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या उपयोग करा सकता है, जो उसकी राय में आवश्यक हो।

सी.

डी.

ई.

(3) इस धारा के अनुसरण में किए गए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट [मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी] के किसी भी कार्य पर किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

एफ.

6.1 कि वर्ष 2013 में 2013 के अधिनियम 1 द्वारा, धारा 14 (1 ए) को जोड़ा गया है, जिसके द्वारा अब, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ऐसी संपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए अधिकृत कर सकते हैं; और

ऐसी संपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए।वर्ष 2013 में जोड़ी गई धारा 14 (1ए) इस प्रकार हैः-

जी.

“[(1क) जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकते हैं,-क

एच.

71

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

((i) ऐसी परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेना; और

((ii) ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करना।]”

6.2 जैसा कि हाल के फैसले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

बी.

एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सुबीर चक्रवर्ती और

ओआरएस। (सिविल अपील सं. 1637/2022) ने 25.02.2022 पर निर्णय लिया, यह CMM/DM के लिए खुला है कि वह एक वकील नियुक्त करे और उसे सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए अधिकृत करे और उसी को सुरक्षित लेनदार को आगे बढ़ा सके।

सी.

7. अब जहाँ तक सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत डी. एम. और सी. एम. एम. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है, उन उद्देश्यों और कारणों का विवरण जिसके लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया है, निम्नानुसार हैः- “उद्देश्यों और कारणों का विवरण

डी.

अपनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास में सफलता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है।जबकि भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखा प्रथाओं का पालन कर रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं है।बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की सुविधा के लिए

कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विपरीत, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं है। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित हमारे मौजूदा कानूनी ढांचे ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल नहीं रखा है।इसके परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ रहा है।नरसिम्हम समिति I और II और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गठित अंधारुजिना समिति ने इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर विचार किया है।इन समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण के लिए एक नया कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना।इन सुझावों पर कार्रवाई करते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 को 21 जून, 2002 को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को विनियमित करने और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए लागू किया गया था। अध्यादेश के प्रावधान बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, तरलता की समस्या का प्रबंधन करने, परिसंपत्ति देयता विसंगतियों और प्रतिभूतियों का कब्जा लेने, उन्हें बेचने और वसूली या पुनर्निर्माण के उपायों को अपनाकर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करके वसूली में सुधार करने में सक्षम बनाएंगे।"

बी.

सी.

इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का अंतर्निहित उद्देश्य भारत में वित्तीय संस्थानों को उनके समकक्षों, अर्थात् अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों द्वारा प्राप्त समान शक्तियों के लिए सशक्त बनाना है।ऐसी ही एक विशेषता वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का

कब्जा लेने और उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाना है।इसका अनुवाद सरफेसी अधिनियम के अध्याय III के तहत आने वाले प्रावधानों में किया गया है। धारा 13 सुरक्षा हित के प्रवर्तन से संबंधित है।इसकी उप-धारा (4) में यह परिकल्पना की गई है कि यदि उधारकर्ता द्वारा उप-धारा (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करने में चूक की जाती है, तो सुरक्षित लेनदार उप-धारा (4) में दिए गए उपायों में से एक या अधिक का सहारा ले सकता है। एक उपाय यह है कि उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाए, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार शामिल है।वह, वे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 (ए) में परिभाषित अपने "अधिकृत अधिकारी" के माध्यम से कर सकते हैं।

डी.

ई.

एफ.

7.1 सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद, उन्हें पट्टे पर देने, सौंपने या बेचने के लिए आगे के कदम भी सुरक्षित लेनदार द्वारा उठाए जा सकते हैं।हालांकि, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 भविष्यवाणी करती है कि यदि सुरक्षित लेनदार सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का इरादा रखता है, तो उसे लिखित रूप में एक आवेदन के माध्यम से सी. एम. एम./डी. एम. से संपर्क करना चाहिए, और इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति पर, सी. एम. एम./डी. एम. को सही तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए।उस पर एक आदेश पारित करने के बाद, उसे (सी. एम. एम./डी. एम.) सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (2) सहपठित धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को भेजा जा सके। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, धारा 14 (2) एक सक्षम प्रावधान है और सीएमएम/डीएम को ऐसे कदम उठाने और बल प्रयोग करने की अनुमति देता है, जो उनकी राय में आवश्यक हो।

जी.

एच.

73

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

7.2 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उप-धारा (1 ए) को शामिल करने के साथ-साथ, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में परंतुक भी जोड़ा गया है,

जिसके तहत सुरक्षित लेनदार को अब कुछ शर्तों का पालन करना होगा और उस संबंध में अपने अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए शपथ पत्र के साथ एक आवेदन के माध्यम से इसका खुलासा करना होगा।उप-धारा (1 ए) एक व्याख्यात्मक प्रावधान की प्रकृति में है और यह केवल अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी की सेवा लेने में सीएमएम/डीएम की अंतर्निहित शक्ति को दोहराती है।जैसा कि देखा और आयोजित किया गया है

बी.

इस न्यायालय द्वारा एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में,

उप-धारा (1 ए) को सम्मिलित करने का अर्थ पहली बार सीएमएम/डीएम में नई शक्ति का निवेश करना नहीं है।

सी.

8. इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट और स्पष्ट है कि सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री की पुष्टि के साथ-साथ बिक्री की पुष्टि के बाद भी सुरक्षित लेनदार द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लिया जा सकता है।सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के लिए, यह बैंक के "अधिकृत अधिकारी" द्वारा किया जा सकता है जैसा कि प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 में उल्लेख किया गया है।

डी.

8.1 हालांकि, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में सुरक्षित परिसंपत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए, सुरक्षित लेनदार एक लिखित आवेदन के माध्यम से सीएमएम/डीएम से संपर्क करने के लिए बाध्य है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने का अनुरोध किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे (सुरक्षित लेनदार) भेजा जाता है।सीएमएम/डीएम पर आदेशित वैधानिक दायित्व उस उद्देश्य के लिए सुरक्षित लेनदार से एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई करना है।जैसे ही ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, सी. एम. एम./डी. एम. से अपेक्षा की जाती है कि वह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 (1) में परंतुक में निर्दिष्ट सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन के बाद और उस संबंध में संतुष्ट होने के बाद, सुरक्षित परिसंपत्तियों और उससे संबंधित दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने और इसे जल्द से जल्द सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगा।जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 द्वारा अनिवार्य है, सीएमएम/डीएम को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करना होगा और आवेदन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से एक उपयुक्त आदेश पारित करना होगा, जिसे ऐसी आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर साठ दिनों से अधिक नहीं।इस प्रकार, सीएमएम/डीएम द्वारा प्रयोग की जाने वाली

शक्तियां एक मंत्रिस्तरीय अधिनियम है।वह देरी नहीं कर सकता।समय का महत्व है।यह विशेष अधिनियम की भावना है।जैसा कि देखा गया है और

ई.

एफ.

जी.

एच.

एन. के. जी. एस. बी. सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित।

(ऊपर), सी. एम. एम./डी. एम. द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों और उनसे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है।इसे सी. एम. एम./डी. एम. स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है, जिसमें अधिवक्ता आयुक्त भी शामिल है जिसे उसकी न्यायालय का अधिकारी माना जाता है।धारा 14 सी. एम. एम./डी. एम. को व्यक्तिगत रूप से जाने और उससे संबंधित सुरक्षित संपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए बाध्य नहीं करती है।इस प्रकार, हम दोहराते हैं कि सीएमएम/डीएम द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत उठाया जाने वाला कदम एक मंत्रिस्तरीय कदम है।सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन का निपटान करते समय, अर्ध-न्यायिक कार्य या दिमाग के अनुप्रयोग के किसी भी तत्व की आवश्यकता नहीं होगी। मजिस्ट्रेट को निर्णय लेना होता है और आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता पर निर्णय लेना होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।इसलिए, धारा 14 में एक न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है जो उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने वाले सुरक्षित लेनदार के खिलाफ उठाई गई है।

बी.

सी.

9. इस प्रकार, सर्फेसी अधिनियम की योजना, विशेष रूप से, सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 और विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में उचित रूप से कहा है और कहा है कि विद्वान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/विद्वान जिला मजिस्ट्रेट में निहित शक्ति व्यक्ति पदनाम के रूप में नहीं है।

डी.

ई.

10. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला सवाल यह है कि क्या अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कहा जा सकता है।उस उद्देश्य के लिए धारा 11,12,15,16,17,19 और 35 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है, जिन्हें निम्नानुसार निकाला गया हैः-

एफ.

"11. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय।—(1) प्रत्येक जिले में (जो महानगर क्षेत्र नहीं है) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जितने न्यायालय स्थापित किए जाएँगे, और ऐसे स्थानों पर, जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद, अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेः1 [बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसी विशेष मामले या मामलों के विशेष वर्ग की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकती है, और

जी.

एच.

75

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

जहाँ ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है, वहाँ स्थानीय क्षेत्र के किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को किसी ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है।](2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।(3) उच्च न्यायालय, जब भी उसे समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो, सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है।

बी.

12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि।—(1) प्रत्येक जिले में (महानगर क्षेत्र नहीं होने के कारण), उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा।(2) उच्च न्यायालय प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे।

(3) (क) उच्च न्यायालय किसी उप-मंडल में प्रथम श्रेणी के किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नामित कर सकता है और उसे अवसर की आवश्यकता के अनुसार इस धारा में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकता है।(ख) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन, प्रत्येक उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भी उप-मंडल में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अलावा) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होंगी जो उच्च न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता।—(1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में नियम बना सकता है या इस संहिता के अनुरूप विशेष आदेश दे सकता है।

जी.

16. महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय।—(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, महानगर मजिस्ट्रेटों के अधिक से अधिक न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और ऐसे स्थानों पर, जहां राज्य सरकार,

एच.

उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।(3) प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार पूरे महानगर क्षेत्र में होगा।

17. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट।—(1) उच्च न्यायालय, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में, ऐसे महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में एक महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

करेगा।(2) उच्च न्यायालय किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे।19. महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता।—(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनता की सीमा, यदि कोई हो, को परिभाषित कर सकता है।(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच व्यवसाय के वितरण और एक अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को व्यवसाय के आवंटन के बारे में, इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

35. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियाँ जो उनके कार्यालय में उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।—(1) इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या निष्पादन उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है।(2) जब इस बारे में कोई संदेह होता है कि किसी अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश का उत्तराधिकारी कौन है, तो सत्र न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा उस न्यायाधीश का निर्धारण करेगा, जिसे इस संहिता या उसके तहत किसी कार्यवाही या आदेश के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश का उत्तराधिकारी माना जाएगा।(3) जब इस बारे में कोई संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, आदेश ए द्वारा निर्धारित करेंगे।

एफ.

जी.

एच.

77

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मजिस्ट्रेट, जो इस संहिता या उसके अधीन किसी कार्यवाही या आदेश के प्रयोजन के लिए, लिखित रूप में ऐसे मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी समझा जाएगा।"

10.1 उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।उच्च न्यायालय किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास Cr.PC के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियां होंगी जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे।मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।इस प्रकार Cr.PC के तहत न्यायिक शक्तियों और शक्तियों का प्रयोग, जिसका प्रयोग मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, का प्रयोग अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा भी किया जा सकता है।इस प्रकार, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बराबर कहा जा सकता है जहाँ तक Cr.PC के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का संबंध है।इसके अलावा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास प्रशासनिक शक्तियां हो सकती हैं।हालाँकि, अन्य सभी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से Cr.PC के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ दोनों बराबर हैं। इसलिए, जहां तक न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

10.2 उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बराबर हैं और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश (आईडी1 की धारा 19) के अधीनस्थ होंगे और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 14 के तहत उठाए जाने वाले कदम, जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, मंत्रिस्तरीय प्रकृति के हैं और इसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया शामिल नहीं है और किसी भी अर्ध-न्यायिक कार्य का कोई तत्व नहीं है, हम विवादित फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।हम मानते हैं कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट" का अर्थ होगा

एफ.

और इसमें सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

10.3 इसी तरह, जब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा या तो प्रतिनिधिमंडल द्वारा और/या विशेष आदेशों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से सम्मानित किया जाता है और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट वही शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं जो जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, तो वही सादृश्य लागू किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां मंत्रिस्तरीय कदम हैं।

बी.

11. इस मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे कोण से भी विचार किया जा सकता है।इसे विवादित नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है कि सीएमएम और/या यहां तक कि डीएम को विभिन्न कानूनों के तहत कई अन्य कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है।उन्हें कई प्रशासनिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करना पड़ता है।जिला मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र/जिले के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।इसी तरह, सीएमएम को भी प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है और उन्हें अन्य मामलों/आपराधिक मुकदमों और विशेष कानूनों के तहत कई मुकदमों से भी निपटना पड़ता है।यह विवादित नहीं हो सकता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत मुकदमे और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही और/या आवेदन बढ़ रहे हैं।यहां तक कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में देखा गया है, 09.08.2017 के अनुसार, केवल एक सीएमएम के समक्ष सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत 926 मामले लंबित थे। इसलिए, धारा 14 के तहत कई आवेदन लंबित हैं।इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि सरफेसी अधिनियम सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत दायर आवेदनों के शीघ्र निपटारे का परंतुक करता है। धारा 14 के दूसरे परंतुक के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के उद्देश्य से उपयुक्त आदेश आवेदन की तारीख से अधिकतम साठ दिनों की अवधि के भीतर पारित किए जाने की आवश्यकता है।इसलिए, यदि अपीलार्थियों की ओर से यह निवेदन स्वीकार किया जाता है कि केवल संबंधित सीएमएम/डीएम के पास ही सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा, तो उस मामले में, संबंधित सीएमएम/डीएम के

लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदन पर तेजी से और सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के दूसरे परंतुक के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। यदि व्याख्या जिसका हम प्रस्ताव करते हैं कि, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शामिल हैं, तो इसे ए के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या कहा जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

79

मेसर्स आर. डी. जैन एंड सी. ओ. वी.कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करना, विशेष रूप से जब ऊपर देखा गया है, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत पारित किए जाने वाले आदेश मंत्रिस्तरीय कदम हैं और सुरक्षित संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने/प्राप्त करने में सुरक्षित लेनदार की सहायता करने के लिए हैं।इस प्रकार, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत न्यायिक शक्तियों के प्रयोग का कोई तत्व नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है।

बी.

12. हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि (i) जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति नामित नहीं है; (ii) सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट" का अर्थ सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को शामिल करना होगा।

सी.

डी.

13. अन्य उच्च न्यायालयों, अर्थात् गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पुष्प देवी बी जैन बनाम भवरलाल एम जैन बनाम के मामले में लिया गया विपरीत दृष्टिकोण। विशेष नागरिक आवेदन संख्या 19102/2015 में भारतीय विदेशी बैंक; श्री चेल्लापेरुमल और अन्न के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय। बनाम। असीना बनाम के मामले में एम. ए. सं. 26/2014 और केरल उच्च न्यायालय में अधिकृत अधिकारी और अन्य। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और डब्ल्यू. पी. में अन्य (ग) नहीं. 3331/2007, एक अच्छा कानून नहीं है और विशेष रूप से खारिज कर दिया जाता है।14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।हमारा मानना है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र के संबंधित अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों द्वारा और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा भी किया जा सकता है, जो अन्यथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के बराबर शक्तियों का प्रयोग प्रतिनिधि मंडल और/या विशेष आदेश द्वारा कर रहे हैं।वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।कोई लागत नहीं।

ई.

एफ.

जी.

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

एच.